

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अज्ञानराजस्थान गाँवों के संग
अभियान-2021प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र०सं० :- 2003/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का अज्ञान, भू अ०नि० वृत्त उपखण्ड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा हरिपुरा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 95 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	हरिपुरा	95	भंपरबाई पालि देवीलाल भरी	भंपरी पालि देवीलाल भरी



राशमी वसीदा
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(203)2021

दिनांक :- 18/10/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भंपरी पालि देवीलाल भरी को सूचनार्थ।

आज्ञा
18/10/21
पटवारी

राशमी वसीदा
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
राशमी

